

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक- 1143/नि०शा०/2021-22

दिनांक-06-8-2021.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/पुरुष लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1776.1504 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 17/2021/797/17-1002(002)/1/2021 दिनांक 28.07.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/पुरुष लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू० 1776.1504 लाख (रू० सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार चालीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत पुरुष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरुष लाभार्थी-60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (133) पर अंकित है।

भवदीया
(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक गत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक— /नि०शा०/2021-22

दिनांक— 06.08.2021.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/पुरुष लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1776.1504 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 17/2021/797/17-1002(002)/1/2021 दिनांक 28.07.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/पुरुष लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू० 1776.1504 लाख (रू० सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार चालीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत पुरुष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरुष लाभार्थी-60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (133) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-1143 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

.....
सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
.....

पत्रांक— /नि०शा०/2021-22

दिनांक— ०६.०८.२०२१.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/पुरुष लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1776.1504 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 17/2021/797/17-1002(002)/1/2021 दिनांक 28.07.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०२४/रा०१६/पुरुष लाभार्थी-६० के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू० 1776.1504 लाख (रू० सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार चालीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेण्डर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत पुरुष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरुष लाभार्थी-60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (133) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1143 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

उप निदेशक मत्स्य,

सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

पत्रांक-1143/नि०शा०/2021-22

दिनांक- 06.08.2021.

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०24/रा०16/पुरुष लाभार्थी-60 के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु मात्र केन्द्रांश रू० 1776.1504 लाख की निर्गत वित्तीय स्वीकृति के बजट आवंटन का प्रेषण:

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 17/2021/797/17-1002(002)/1/2021 दिनांक 28.07.2021 (प्रति संलग्न) में वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) (के०24/रा०16/पुरुष लाभार्थी-60 के०+रा०) के अर्न्तगत पुरुषों हेतु शासन द्वारा मात्र केन्द्रांश रू० 1776.1504 लाख (रू० सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार चालीस मात्र) की निर्गत वित्तीय स्वीकृति का बजट आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार इस निर्देश के साथ जनपदों को आवंटित किया जा रहा है कि उक्त आवंटित धनराशि का व्यय सम्बन्धित लाभार्थियों को डी०बी०टी०/पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से प्रश्नगत शासनादेश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

1- भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2020/बी-1-375-दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 में दिये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6 - स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

7- मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के कय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर/जेम पोर्टल विषयक दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/संबन्धित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण का नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्रांक जे०-18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23-04-2020 के प्रस्तर-3(11) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी०एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण-पत्र का प्रेषण पी०एफ०एम०एस० से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से कय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरण कय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

13- धनराशि का आवंटन/एलाटमेन्ट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) को अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

15- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गाइडलाइन में अधिकतम देय अनुदान राशि का प्रावधान है, लाभार्थी द्वारा कराए गए मानक के अनुसार वास्तविक कार्य के सापेक्ष आगणित धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार देय अनुदान धनराशि का हस्तान्तरण डी0बी0टी0 से उसके बैंक खाते में किया जायेगा।

16- लाभार्थी के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण करने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित जनपदीय अधिकारी का दायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी गाइडलाइन के अनुसार पात्र हैं एवं समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

17- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) एवं वैधानिक स्वीकृतियों के अभाव में यदि धनराशि आहरण कर भुगतान किया जाता है तो आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

18- उक्त धनराशि अनुदान सं0-17 के अन्तर्गत पुरुष वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरुष लाभार्थियों को उक्त धनराशि से भुगतान कदापि न किया जाय। यदि आप द्वारा उक्त आवंटित धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित आहरण वितरण अधिकारी की होगी और यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-17 के अधीन लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन, 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0आई0) (के024/रा016/पुरुष लाभार्थी-60 के0+रा0), 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

19- उक्त बजट का आवंटन बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या- (133) पर अंकित है।

भवदीया

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-1143 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, मत्स्य उत्पादन अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी.....
4. उप निदेशक मत्स्य (नियो0), मुख्यालय।
5. गार्ड फाइल।
6. वेब आफिसर, निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि बजट आवंटन वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(पूजा रमन)

वित्त एवं लेखाधिकारी

कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

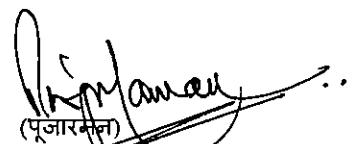
प्रेषणसंख्या:- I
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-FISH SEED HATCHERY MALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
 पुरुषलाभार्थी-60 के.रा.)

(धनराशि. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1200000 1200000	1200000 1200000
2	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
3	फतेहपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
4	मिर्जापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
5	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
6	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
7	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
8	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
9	महाराजगंज-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 1200000	1200000 1200000
10	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	360000 360000	360000 360000
11	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	600000 600000	600000 600000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7560000 7560000	7560000 7560000

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया पचहत्तरलाखसाठहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया पचहत्तरलाखसाठहजार


 (पूजारीमन)
 वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

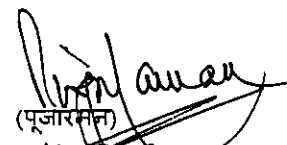
प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-REARING TALAB NIRMAN MALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
 पुरुषलभार्थी-60 के.रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	336000 1536000	336000 1536000
2	अलीगढ़-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 336000	336000 336000
3	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 336000	336000 336000
4	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	672000 672000	672000 672000
5	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	504000 504000	504000 504000
6	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	672000 1272000	672000 1272000
7	सीतापुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	840000 840000	840000 840000
8	लखीमपुरखीरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1344000 1344000	1344000 1344000
9	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	336000 336000	336000 336000
10	महाराजगंज-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	672000 1872000	672000 1872000
11	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	672000 1032000	672000 1032000
12	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 936000	336000 936000
13	अमरोहा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	672000 672000	672000 672000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7728000 11688000	7728000 11688000

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया सतहत्तरलाखअठाईसहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया एककरोड़सोलहलाखअठासीहजार


 (पूजारीमन)
 वित्तएवंलेखाधिकारी
 complete

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-NAYA TALAB NIRMAN MALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
 पुरुषलाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	सहारनपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य, --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1876120 1876120	1876120 1876120
2	मुजफ्फरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	1204220 1204220	1204220 1204220
3	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य, --20-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	873600 873600	873600 873600
4	बुलन्दशहर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	905520 905520	905520 905520
5	अलीगढ़-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	1646400 1982400	1646400 1982400
6	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	2381230 2717230	2381230 2717230
7	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य, --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1696130 2296130	1696130 2296130
8	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	1159200 1159200	1159200 1159200
9	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य, --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2109240 2109240	2109240 2109240
10	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य, --22-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बदायूं	वर्तमान प्रगामी	772800 772800	772800 772800
11	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	756000 1428000	756000 1428000
12	मुरादाबाद-4362-उपनिदेशकमत्स्य, --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1034710 1034710	1034710 1034710
13	मुरादाबाद-4362-उपनिदेशकमत्स्य, --19-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सम्भल	वर्तमान प्रगामी	655200 655200	655200 655200
14	शाहजहांपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य, --01--	वर्तमान प्रगामी	1057390 1057390	1057390 1057390

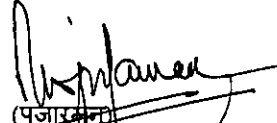
15	पीलीभीत-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	336000 336000	336000 336000
16	रामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1102750 1102750	1102750 1102750
17	फर्रुखाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	897120 897120	897120 897120
18	इटवा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1622390 1622390	1622390 1622390
19	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	806400 806400	806400 806400
20	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --25-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - कानपुरदेहात	वर्तमान प्रगामी	198240 198240	198240 198240
21	फतेहपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	760030 1360030	760030 1360030
22	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2646000 3150000	2646000 3150000
23	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --16-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - प्रतापग	वर्तमान प्रगामी	823200 823200	823200 823200
24	झाँसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	304420 304420	304420 304420
25	जालौन-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	490730 490730	490730 490730
26	हमीरपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1344000 1344000	1344000 1344000
27	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --11-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	1257140 1257140	1257140 1257140
28	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --12-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	2741760 2741760	2741760 2741760
29	मिर्जापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2251200 2851200	2251200 2851200
30	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	3964800 4564800	3964800 4564800
31	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	6220370 7492370	6220370 7492370
32	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1273440 1273440	1273440 1273440
33	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --26-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सन्तकबीरनगर	वर्तमान प्रगामी	184800 184800	184800 184800
34	आजमगढ़-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2017680 2017680	2017680 2017680
35	आजमगढ़-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --15-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बलिया	वर्तमान प्रगामी	655200 655200	655200 655200
36	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1137360 1137360	1137360 1137360

37	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --02-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	1305020 1305020	1305020 1305020
38	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --03-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	2492110 2492110	2492110 2492110
39	सीतापुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1505110 2345110	1505110 2345110
40	हरदोई-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1402800 1402800	1402800 1402800
41	लखीमपुरखीरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2070600 3414600	2070600 3414600
42	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	919800 1255800	919800 1255800
43	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	7324970 7324970	7324970 7324970
44	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --05-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - सुल्तानपुर	वर्तमान प्रगामी	487030 487030	487030 487030
45	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	3995380 4595380	3995380 4595380
46	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --07-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - छत्रपतिसाहुजीमहराजनगर	वर्तमान प्रगामी	2973600 2973600	2973600 2973600
47	बहराइच-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2540160 2540160	2540160 2540160
48	ललितपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	865200 865200	865200 865200
49	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	6092100 6092100	6092100 6092100
50	सिद्धार्थनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3528170 3528170	3528170 3528170
51	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	496270 1096270	496270 1096270
52	सोनभद्र-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	243600 243600	243600 243600
53	महाराजगंज-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	5334000 7206000	5334000 7206000
54	संतरविदासनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	296860 296860	296860 296860
55	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	5581130 6613130	5581130 6613130
56	अम्बेदकरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1780800 1780800	1780800 1780800
57	चन्दौली-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4361280 4361280	4361280 4361280
58	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	549190 549190	549190 549190

59	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	5681260 6617260	5681260 6617260
60	कौशाम्बी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	302400 302400	302400 302400
61	श्रावस्ती-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	783550 783550	783550 783550
62	अमरोहा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	616390 1288390	616390 1288390
	योग	वर्तमान प्रगामी	114691570 128443570	114691570 128443570

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया ग्यारहकरोड़छियालीसलाखइकानवेहजारपाँचसौसत्तर

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया बारहकरोड़चौरासीलाखतियालीसहजारपाँचसौसत्तर


(पूजाप्रमन)
* वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Print Report**Allotment Grid Report**

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

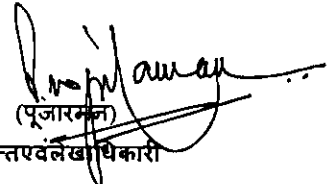
प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-KHARE JAL ME NAYA TALAB NIRMAN MALE 3-8-21
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएम0एम0एस0वाई0)- (के024 रा0-16
पुरुषलभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	3512020 6229250	3512020 6229250
2	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	75700 2371830	75700 2371830
3	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	541950 1091140	541950 1091140
	योग	वर्तमान प्रगामी	4129670 9692220	4129670 9692220

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया इक्तालीसलाखउन्तीसहजारछः सौसत्तर

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया छियानवेलाखबानवेहजारदोसौबीस


(पूजारमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी
complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-KHARE JAL ME NAYA TALAB NIRMAN PRATHAM NIVESH
MALE
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
पुरुषलाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	5931700 12160950	5931700 12160950
2	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	141900 2513730	141900 2513730
3	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	406400 1497540	406400 1497540
	योग	वर्तमान प्रगामी	6480000 16172220	6480000 16172220

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया चौसठलाखअस्सीहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया एककरोड़इकसठलाखबहत्तरहजारदोसौबीस


(पञ्जीकरण)
वित्तएवलेखाधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

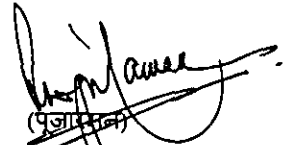
प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-LARGE RAS MALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
 पुरुषलाभार्थी-60 के.+रा.)

(घनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 2256000	720000 2256000
2	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --18-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
3	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --20-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	720000 1593600	720000 1593600
4	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 12880940	720000 12880940
5	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 3233730	720000 3233730
6	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 1879200	720000 1879200
7	बिजनौर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 2628000	1200000 2628000
8	रामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 1822750	720000 1822750
9	झावा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 2342380	720000 2342380
10	कानपुरनगर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --25-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - कानपुरदेहात	वर्तमान प्रगामी	1200000 1398240	1200000 1398240
11	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	1200000 4350000	1200000 4350000
12	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --11-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	1200000 2457140	1200000 2457140
13	मिर्जापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 3571200	720000 3571200
14	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 5284800	720000 5284800

15	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	720000 8212370	720000 8212370
16	आजमगढ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 2737680	720000 2737680
17	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --02-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - उन्नाव	वर्तमान प्रगामी	1200000 2505020	1200000 2505020
18	लखीमपुरखीरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 4134600	720000 4134600
19	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	720000 8044970	720000 8044970
20	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बाराबंकी	वर्तमान प्रगामी	720000 5315380	720000 5315380
21	गाजियाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 1200000	1200000 1200000
22	महाराजगंज-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 7926000	720000 7926000
23	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 7333130	720000 7333130
24	चन्दौली-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 5081280	720000 5081280
25	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 7537260	720000 7537260
26	कौशाम्बी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 1022400	720000 1022400
	योग	वर्तमान प्रगामी	21600000 107468070	21600000 107468070

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया दोकरोइसोलहलाख
महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया दसकरोइचौहत्तरलाखअइसठहजारसत्तर


(प्राप्तमन्त्र)
वित्तएवलेखाधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

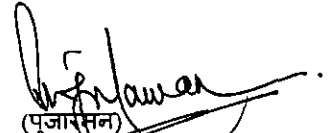
प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-MEDIUM SIZE RAS MALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)-(के024 रा0-16
 पुरुषलाभार्थी-60 के.रा.)

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 2856000	600000 2856000
2	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	600000 3833730	600000 3833730
3	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	360000 2469240	360000 2469240
4	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --12-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य -जौनपुर	वर्तमान प्रगामी	360000 3101760	360000 3101760
5	मिर्जापुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	360000 3931200	360000 3931200
6	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	360000 8572370	360000 8572370
7	आजमगढ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	360000 3097680	360000 3097680
8	मऊ-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	360000 6452100	360000 6452100
9	अम्बेदकरनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	360000 2140800	360000 2140800
10	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	360000 1857640	360000 1857640
	योग	वर्तमान प्रगामी	4080000 38312520	4080000 38312520

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया चालीसलाखअस्सीहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया तीनकरोड़तिरासीलाखबारहजारपाँचसौबीस


 (पूजासमन)
 वित्तएवंसंस्थाधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

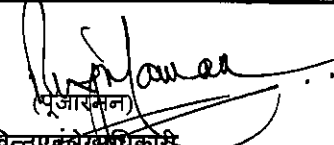
प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 001-SMALL RAS BIOFALAK MALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
 पुरुषलाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	72000 2928000	72000 2928000
2	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --18-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	540000 1260000	540000 1260000
3	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --20-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - हापुर	वर्तमान प्रगामी	180000 1773600	180000 1773600
4	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	180000 13060940	180000 13060940
5	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	72000 3905730	72000 3905730
6	एटा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	72000 1951200	72000 1951200
7	बरेली-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	180000 2649240	180000 2649240
8	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --11-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गाजीपुर	वर्तमान प्रगामी	360000 2817140	360000 2817140
9	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	180000 8752370	180000 8752370
10	लखनऊलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	864000 2001360	864000 2001360
11	गाजियाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	72000 1272000	72000 1272000
12	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	144000 1240270	144000 1240270
13	सोनभद्र-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	180000 423600	180000 423600
	योग	वर्तमान प्रगामी	3096000 44035450	3096000 44035450

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया तीसलाखछियानवेहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया चारकरोड़चालीसलाखपैंतीसहजारचारसौपचास


 वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

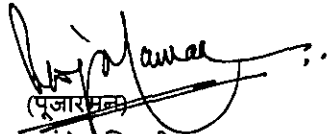
आवंटनदिनांक-03/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-PAN CULTURE MALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
पुरुषलाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	लखीमपुरखीरी-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01-	वर्तमान प्रगामी	216000 4350600	216000 4350600
2	ललितपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	28800 894000	28800 894000
	योग	वर्तमान प्रगामी	244800 5244600	244800 5244600

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया दोलाखचौवालीसहजारआठसौ
महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया बावनलाखचौवालीसहजारछः सौ


(पुजारमन)
वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

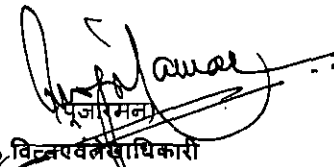
प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-REFERIZATER VAN MALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
पुरुषलाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	480000 4385730	480000 4385730
2	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	480000 5764800	480000 5764800
3	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --04-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - गोण्डा	वर्तमान प्रगामी	480000 8524970	480000 8524970
4	बलरामपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	480000 8017260	480000 8017260
	योग	वर्तमान प्रगामी	1920000 26692760	1920000 26692760

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया उनीसलाखबीसहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया दोकरोड़छियासठलाखबानवेहजारसातसौसाठ


वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Print Report**Allotment Grid Report**

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-MOTER CYCLE WITH ICE BOX MALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
पुरुषलाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मथुरा-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	25000 13085950	25000 13085950
2	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	231000 4616730	231000 4616730
3	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7000 1247270	7000 1247270
	योग	वर्तमान प्रगामी	263000 18949950	263000 18949950

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया दोलाखतिरेसठहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया एककरोड़नवासीलाखउनचासहजारनौसौपचास


(प्रचारमन्त्री)
वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

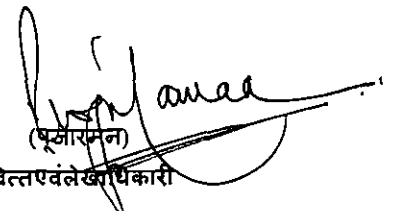
प्रेषणसंख्या:- 1
 आवंटनआदेशसंख्या:- 002-CYCLE WITH ICE BOX MALE 3-8-2021
 अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
 01 -
 03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16 पुरुषलार्थी-60 के.रा.)

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2400 2930400	2400 2930400
2	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --18-मु0 कार्यकारीअधिकारी-मत्स्य - बागपत	वर्तमान प्रगामी	2400 1262400	2400 1262400
3	शाहजहांपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400 1059790	2400 1059790
4	फतेहपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4800 1364830	4800 1364830
5	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	2400 1275840	2400 1275840
6	बस्ती-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --26-मु0 कार्यकारीअधिकारी-मत्स्य - सन्तकबीरनगर	वर्तमान प्रगामी	7200 192000	7200 192000
7	लखनऊकलेक्ट्रेट -4362-उपनिदेशकमत्स्य , --03-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - रायबरेली	वर्तमान प्रगामी	4800 2496910	4800 2496910
8	ललितपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	4800 898800	4800 898800
9	फिरोजाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7200 1254470	7200 1254470
10	सोनभद्र-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	2400 426000	2400 426000
11	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	7200 7340330	7200 7340330
	योग	वर्तमान प्रगामी	48000 20501770	48000 20501770

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया अड़तालीसहजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया दोकोड़पाँचलाखएकहजारसातसौसत्तर


 (प्रमाणित)
 वित्तएवंलेखाधिकारी
 complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

आवंटनदिनांक-03/08/2021

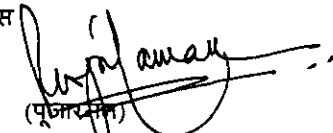
प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-THREE WHEELER WITH ICE BOX MALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
पुरुषलाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशिक. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	आगरा-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	29000 4645730	29000 4645730
2	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	29000 8781370	29000 8781370
3	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 1957540	100000 1957540
	योग	वर्तमान प्रगामी	158000 15384640	158000 15384640

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया एक लाख अठ्ठावन हजार

महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया एक करोड़ तिरपन लाख चौरासी हजार छः सौ चालीस


(पूज्यमान)
वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

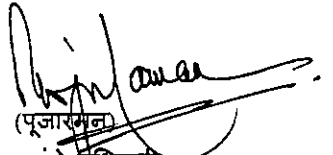
आवंटनदिनांक-03/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-SMALL FEED MIL MALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 -
03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
पुरुषलभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 3650400	720000 3650400
2	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	720000 720000	720000 720000
3	गोरखपुर-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --10-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - देवरिया	वर्तमान प्रगामी	432000 9213370	432000 9213370
4	अयोध्या-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --06-मु0 कार्यकारीअधिकारी- मत्स्य - बाराबकी	वर्तमान प्रगामी	432000 5747380	432000 5747380
5	गाजियाबाद-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 1992000	720000 1992000
6	कुशीनगर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	432000 7772330	432000 7772330
7	हाथरस-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	720000 2678640	720000 2678640
	योग	वर्तमान प्रगामी	4176000 31774120	4176000 31774120

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रुपया इक्तालीसलाखछिहत्तरहजार
महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रुपया तीनकरोड़सत्रहलाखचौहत्तरहजारएकसौबीस


(पूजारीमन)
वित्त एवं लेखाधिकारी

complete

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीयवर्ष:-2021-2022

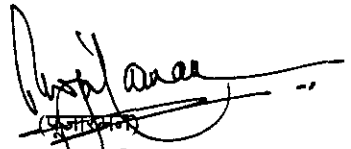
आवंटनदिनांक-03/08/2021

प्रेषणसंख्या:- 1
आवंटनआदेशसंख्या:- 001-MATSYA KIYOSK MALE 3-8-2021
अनुदानसंख्या:- 17 कृषितथाअन्यसम्बद्धविभाग (मत्स्य)(वित्तीयवर्ष 2021-2022 काआवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2405 - मछलीपालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - अन्तर्देशीयमछलीपालन
01 :-
03 - प्रधानमंत्रीमत्स्यसम्पदायोजना (पीएमएमएसवाई0)- (के024 रा0-16
पुरुषलाभार्थी-60 के.+रा.)

(धनराशिरु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपदकानाम		20-सहायताअनुदान - सामान्य (गैरवेतन)	योग
1	मेरठ-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	336000 3746400	336000 3746400
2	प्रयागराज-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	336000 4686000	336000 4686000
3	वाराणसी-4362-उपनिदेशकमत्स्य , --01-उप - निदेशकमत्स्यजनपदीय	वर्तमान प्रगामी	528000 1248000	528000 1248000
4	ललितपुर-2366-सहायकनिदेशक - मत्स्य , --01--	वर्तमान प्रगामी	240000 1138800	240000 1138800
	योग	वर्तमान प्रगामी	1440000 10819200	1440000 10819200

महायोग- (वर्तमानआवंटन):- रूपया चौदहलाखचालीसहजार
महायोग- (प्रगामीआवंटन):- रूपया एककरोड़आठलाखउनीसहजारदोसौ


(प्रमाणित)
वित्तएवंलेखाधिकारी

complete

365/110115
30-7-2021

File No.17-1002(002)/1/2021- -1-

संख्या: 17 / 2021 / 797 / 17-1002(002) / 1 / 2021

प्रेषक,

कृपा शंकर यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
30प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 28 जुलाई, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21(कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0) के अन्तर्गत सामान्य (पुरुष) वर्ग हेतु पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि के सापेक्ष मात्र केन्द्रांश रु0 1776.1504 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-276/नि0शा0/ 2021-22/16-19(6) दिनांक 14 जून, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 (कार्यान्वयन वर्ष 2021-22) में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0) के अन्तर्गत सामान्य (पुरुष) वर्ग हेतु प्राविधानित बजट धनराशि रु0 14410.97 लाख में से (राज्यांश रु0 1184.1035 लाख + केन्द्रांश रु0 1776.1504 लाख) अर्थात् कुल रु0 2960.2539 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(सिंह) अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत सामान्य (पुरुष एवं महिला) मद हेतु अवमुक्त केन्द्रांश (रु0 2731.00 लाख एवं रु0 2591.57 लाख) कुल रु0 5322.57 लाख के सापेक्ष अप्रयुक्त केन्द्रांश रु0 4539.31 लाख को भारत सरकार के पत्रांक जे/18001/1/2017/ एफ0वाई0(ई-4611) दिनांक 04.05.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। उक्त पुनर्वैध धनराशि में से सामान्य (पुरुष) वर्ग हेतु रु0 1986.6208 लाख (कुल का 43.65 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग हेतु रु0 2552.6892 लाख (कुल का 56.35 प्रतिशत) के केन्द्रांश की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई0) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 में सामान्य (पुरुष) वर्ग हेतु रु0 14410.97 लाख की बजट धनराशि प्राविधानित की गयी है। अतः प्राविधानित बजट धनराशि में से पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि की सीमा के अन्तर्गत सर्वप्रथम मात्र केन्द्रांश धनराशि रु0 1776.1504 लाख (रु0 सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार चालीस रुपये) की वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार 15 परियोजनाओं हेतु श्री राज्यपाल महोदय अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिशतों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

तालिका

(धनराशि: ₹0 लाख में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम / वित्त पोषण (के024+रा016+पु0 ला0-60, के0+रा0)	इकाई (हे0/सं0)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित			अयमुक्त अवशेष पुनर्वित्त केन्द्रांश / धनराशि के सापेक्ष निर्गत निर्गत होने वाली मात्र केन्द्रांश धनराशि		अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	लाभार्थी अंश	केन्द्रांश	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फिनफिश हेचरियों की स्थापना	13	25.00	325.00	78.00	52.00	195.00	75.60	75.60	निदेशक
2	नये रियरिंग तालाबों का निर्माण	131.00	7.00	917.00	220.08	146.72	550.20	77.2800	77.2800	मत्स्य के उप
3	नये तालाबों का निर्माण	694.791	7.00	4863.54	1167.25	778.17	2918.12	1146.9157	1146.9157	संख्या
4	खारे पानी में नये तालाबों का निर्माण	45.00	8.00	360.00	86.40	57.60	216.00	41.2967	41.2967	/276
5	खारे पानी में तालाबों में निवेश	45.00	6.00	270.00	64.80	43.20	162.00	64.80	64.80	निर्देशा
6	चूल्हा आर0एस0 एस0 /बायोफ्लाक का निर्माण	63	50.00	3150.00	756.00	504.00	1890.00	216.00	216.00	22-2021/
7	मध्यमाकार आर0 एस0 एस0 /बायोफ्लाक का निर्माण	28	25.00	700.00	168.00	112.00	420.00	40.80	40.80	दिनांक 14
8	लघु आर0एस0एस0 /बायोफ्लाक का निर्माण	39	7.50	292.50	70.20	46.80	175.50	30.96	30.96	जून 2021
9	खुले जलक्षेत्रों में पेनकल्चर	6.9	3.00	20.70	4.97	3.31	12.42	2.448	2.448	द्वारा उपलब्ध
10	इनसुलेटेड वाहन	5	20.00	100.00	24.00	16.00	60.00	19.20	19.20	कराये गये
11	मोटर साइकिल विद आइस बाक्स	33	0.75	24.75	5.94	3.96	14.85	2.63	2.63	जनपदवार
12	साइकिल विद आइसबाक्स	322	0.10	32.20	7.73	5.15	19.32	0.48	0.48	फांट /
13	श्री व्हीलर विद आइसबाक्स	17	3.00	51.00	12.24	8.16	30.60	1.58	1.58	संलग्नकों के
14	लघु मिला की स्थापना (उत्पादन क्षमता 2 टन /दिन)	15	30.00	450.00	108.00	72.00	270.00	41.76	41.76	अनुसार।
15	मत्स्य कियोस्क की स्थापना	14	10.00	140.00	33.60	22.40	84.00	14.40	14.40	
कुल योग								1776.1504	1776.1504	

(₹0 सत्रह करोड छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार चालीस मात्र)

- (1) भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएसएमएसवाई0) के क्रियान्वयन हेतु जारी गाइड लाइन्स एवं शासन के आदेश संख्या-31/2020/1047/सत्रह-म-2020-6-9(3)/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड लाइन्स एवं अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1/375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(3)

- (3) भारत सरकार द्वारा पुनर्वेध की गयी धनराशि विषयक पत्र दिनांक 04.05.2021 में दिये गये दिशा- निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा पुनर्वेध धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे जो भारत सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है।
- (4) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन /संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
- (5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
- (6) विभागाध्यक्षों / अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- (7) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- (8) संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जाये।
- (9) जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डकघर/ बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।
- (12) मोटर वाहनों तथा विशेषीकृत उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। इस हेतु निर्दिष्ट ई-टेंडर /जेम पोर्टल विषयक दिशा- निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा। स्टोर एण्ड परचेज रूल्स तथा सुसंगत नियमों के अनुरूप सामग्री भण्डार एवं पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी तथा सामान्य एवं वार्षिक अनुरक्षण की नियमानुसार व्यवस्था की जायेगी।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- (14) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2020 के प्रस्तर- 3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करते तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(15) निर्माण कार्यों के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री / उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(17) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में 50प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य- योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

3 - उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405- नछली पालन 101-अन्तर्देशीयमछलीपालन,01-केन्द्र प्रायोजितयोजनाएं,0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमओएमओएसवाई0) (के024/रा016/पु0 लाभार्थी-60, के0+रा0) 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर संख्या- ई- 488/दस-2021-2022 दिनांक 23 जुलाई,2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
Signed by कृपा शंकर यादव
Date: 28-07-2021 10:46:52
(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

संख्या-17/2021/797(1)/17-1002(002)/1/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय 30प्र0 प्रयागराज।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन 30प्र0 लखनऊ।
- 4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय 30प्र0 लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21

मत्स्य बीज हैचरी / 25.0 lacs/ unit

सामान्य लाभार्थी

Annexure-1

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		अवमुक्त अनुदान 40 प्रतिशत		प्रथम किरत के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान प्रतिशत		द्वितीय किरत के रूप में प्रस्तावित कुल अवमुक्त अनुदान (रु0 लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आगरा	1	25.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
2	फिरोजाबाद	1	25.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
3	फतेहपुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
4	गोरखपुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
5	महाराजगंज	2	50.00	20.00	12.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00
6	देवरिया	1	25.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
7	कुशीनगर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	1.44	0.96	2.40	1.60	3.60	2.40	6.00
8	बलरामपुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
9	बाराबंकी	1	25.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
10	मेरठ	2	50.00	20.00	12.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00
11	मिर्जापुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
	प्रदेश योग	13	325.00	130.00	78.00	52.00	1.44	0.96	2.40	1.60	75.60	50.40	126.00

19

20

21

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

क्र०	जनपद	रियरिंग तालाब निर्माण / Rs. 7.0 lacs/hectare					
		सामान्य लामार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		क्षेत्रफल हे०	घनराशि/टी०प १०सी०	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मथुरा	2.000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
2	अलीगढ	2.000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
3	प्रयागराज	3.000	21.000	8.4000	5.0400	3.3600	8.4000
4	महाराजगंज	4.000	28.000	11.2000	6.7200	4.4800	11.2000
5	देवरिया	4.000	28.000	11.2000	6.7200	4.4800	11.2000
6	कुशीनगर	4.000	28.000	11.2000	6.7200	4.4800	11.2000
7	बलरामपुर	2.000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
8	अयोध्या	2.000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
9	मेरठ	2.000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
10	अमरोहा	4.000	28.000	11.2000	6.7200	4.4800	11.2000
11	बिजनौर	4.000	28.000	11.2000	6.7200	4.4800	11.2000
12	सीतापुर	5.000	35.000	14.0000	8.4000	5.6000	14.0000
13	लखीमपुरखीरी	8.000	56.000	22.4000	13.4400	8.9600	22.4000
	प्रदेश योग	46.000	322.000	128.8000	77.2800	51.5200	128.8000





प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2020-21

क्र०	जनपद	नये तालाब निर्माण @ Rs. 7.0lacs/hectare					
		सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		क्षेत्रफल हे०	घनराशि/टी०पी० सी०	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आगरा	10.096	70.672	28.2688	16.9613	11.3075	28.2688
2	फिरोजाबाद	2.954	20.678	8.2712	4.9627	3.3085	8.2712
3	मथुरा	14.174	99.218	39.6872	23.8123	15.8749	39.6872
4	अलीगढ	9.800	68.600	27.4400	16.4640	10.9760	27.4400
5	हाथरस	3.269	22.883	9.1532	5.4919	3.6613	9.1532
6	एटा	3.300	23.100	9.2400	5.5440	3.6960	9.2400
7	कासगंज	3.600	25.200	10.0800	6.0480	4.0320	10.0800
8	आजमगढ	12.010	84.070	33.6280	20.1768	13.4512	33.6280
9	मऊ	36.263	253.838	101.5350	60.9210	40.6140	101.5350
10	बलिया	3.900	27.300	10.9200	6.5520	4.3680	10.9200
11	प्रयागराज	15.750	110.250	44.1000	26.4600	17.6400	44.1000
12	कौशम्बी	1.800	12.600	5.0400	3.0240	2.0160	5.0400
13	फतेहपुर	4.524	31.668	12.6672	7.6003	5.0669	12.6672
14	प्रतापगढ	4.900	34.300	13.7200	8.2320	5.4880	13.7200
15	कानपुर नगर	4.800	33.600	13.4400	8.0640	5.3760	13.4400
16	कानपुरदेहात	1.180	8.260	3.3040	1.9824	1.3216	3.3040
17	इटवा	4.427	30.989	12.3956	7.4375	4.9583	12.3958
18	औरैया	5.230	36.610	14.6440	8.7864	5.8576	14.6440
19	फरुखाबाद	4.435	31.045	12.4180	7.4508	4.9672	12.4180
20	कन्नौज	0.905	6.335	2.5340	1.5204	1.0136	2.5340
21	गोरखपुर	23.600	165.200	66.0800	39.6480	26.4320	66.0800
22	महाराजगंज	31.750	222.250	88.9000	53.3400	35.5600	88.9000
23	देवरिया	37.026	259.182	103.6728	62.2037	41.4691	103.6728
24	कुशीनगर	33.221	232.547	93.0188	55.8113	37.2075	93.0188
25	हमीरपुर	8.000	56.000	22.4000	13.4400	8.9600	22.4000
26	झोंसी	1.812	12.684	5.0736	3.0442	2.0294	5.0736
27	जालौन	2.921	20.447	8.1788	4.9073	3.2715	8.1788
28	ललितपुर	5.150	36.050	14.4200	8.6520	5.7680	14.4200
29	गोण्डा	43.601	305.207	122.0828	73.2497	48.8331	122.0828
30	बलरामपुर	33.817	236.719	94.6876	56.8126	37.8750	94.6876
31	बहराइच	15.120	105.840	42.3360	25.4016	16.9344	42.3360

क्र०	जनपद	नये तालाब निर्माण @ Rs. 7.0lacs/hectare					
		सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		क्षेत्रफल हे०	घनराशि/टी०पी० सी०	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	श्रावस्ती	4.664	32.648	13.0592	7.8355	5.2237	13.0592
33	अयोध्या	5.475	38.325	15.3300	9.1980	6.1320	15.3300
34	अम्बेडकर नगर	10.600	74.200	29.6800	17.8080	11.8720	29.6800
35	सुल्तानपुर	2.899	20.293	8.1172	4.8703	3.2469	8.1172
36	अमेठी	17.700	123.900	49.5600	29.7360	19.8240	49.5600
37	बाराबंकी	23.782	166.474	66.5896	39.9538	26.6358	66.5896
38	बरेली	12.555	87.885	35.1540	21.0924	14.0616	35.1540
39	बदायूँ	4.600	32.200	12.8800	7.7280	5.1520	12.8800
40	शाहजहाँपुर	6.294	44.058	17.6232	10.5739	7.0493	17.6232
41	पीलीभीत	2.000	14.000	5.6000	3.3600	2.2400	5.6000
42	बस्ती	7.580	53.060	21.2240	12.7344	8.4896	21.2240
43	संतकबीर नगर	1.100	7.700	3.0800	1.8480	1.2320	3.0800
44	सिद्धार्थ नगर	21.001	147.007	58.8028	35.2817	23.5211	58.8028
45	हापुड़	5.200	36.400	14.5600	8.7360	5.8240	14.5600
46	बुलन्दशहर	5.390	37.730	15.0920	9.0552	6.0368	15.0920
47	मुरादाबाद	6.159	43.113	17.2452	10.3471	6.8981	17.2452
48	अमरोहा	3.669	25.683	10.2732	6.1639	4.1093	10.2732
49	रामपुर	6.564	45.948	18.3792	11.0275	7.3517	18.3792
50	बिजनौर	4.500	31.500	12.6000	7.5600	5.0400	12.6000
51	समल	3.900	27.300	10.9200	6.5520	4.3680	10.9200
52	लखनऊ	6.770	47.390	18.9560	11.3736	7.5824	18.9560
53	उन्नाव	7.768	54.376	21.7504	13.0502	8.7002	21.7504
54	रायबरेली	14.834	103.838	41.5352	24.9211	16.6141	41.5352
55	सीतापुर	8.959	62.713	25.0852	15.0511	10.0341	25.0852
56	हरदोई	8.350	58.450	23.3800	14.0280	9.3520	23.3800
57	लखीमपुरखीरी	12.325	86.275	34.5100	20.7060	13.8040	34.5100
58	चन्दौली	25.960	181.720	72.6880	43.6128	29.0752	72.6880
59	गाजीपुर	7.483	52.381	20.9524	12.5714	8.3810	20.9524
60	जौनपुर	16.320	114.240	45.6960	27.4176	18.2784	45.6960
61	मिर्जापुर	13.400	93.800	37.5200	22.5120	15.0080	37.5200
62	सोनभद्र	1.450	10.150	4.0600	2.4360	1.6240	4.0600
63	मदौही	1.767	12.369	4.9476	2.9686	1.9790	4.9476
64	सहारनपुर	11.167	78.172	31.2687	18.7612	12.5075	31.2687

क्र०	जनपद	नये तालाब निर्माण @ Rs. 7.0lacs/hectare					
		सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)					
		क्षेत्रफल हे०	धनराशि/टी०पी० सी०	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल अनुदान (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
65	मुजफ्फरनगर	5.370	37.590	15.0360	9.0216	6.0144	15.0360
66	शामली	1.798	12.586	5.0344	3.0206	2.0138	5.0344
	प्रदेश योग	682.688	4778.815	1911.5261	1146.9157	764.6104	1911.5261

(Signature)

(Signature)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020.21

एनेकजर-4

खारे जल में नये तालाब निर्माण (रु० 8.00लाख/हे०)										
सामान्य लाभार्थी										
क्र०	जनपद	डी०एल०सी० से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (क्ष०हे०)	2020-21 के विद्ये GOI से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (क्ष०हे०)	कुल प्रोजेक्ट लागत	2020.21 में आवंटित धनराशि	2020.21 में व्यय धनराशि	2021.22 में आवंटन हेतु अक्षय धनराशि	2021.22 में आवंटित की जाने वाली धनराशि		
								राज्यांश	केन्द्रांश	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आगरा	1.000	0.985	7.882	3.153	1.8910	1.2617	0.5047	0.7570	1.2617
2	मथुरा	41.810	41.192	329.536	131.815	73.2810	58.5336	23.4134	35.1202	58.5336
3	हार्द्वरस	2.865	2.823	22.581	9.032	0.0000	9.0325	3.6130	5.4195	9.0325
	कुलयोग	45.675	45.000	359.999	144.000	75.1720	68.8278	27.5311	41.2967	68.8278

प्रधानमंत्री मत्स्य सभ्पदा योजना 2020.21

		खारे जल हेतु नये ढालाव निर्माण हेतु प्रथम वर्ष निवेश (रु0 6.00 लाख/हे0)							
		सामान्य लाभार्थी (कियान्वयन वर्ष 2021-22)							
क्र0	जनपद	डी0एल0सी0 से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (रु0हे0)	2020-21 के लिये GOI से कुल स्वीकृत प्रस्ताव (रु0हे0)	कुल प्रोजेक्ट लागत	कुल अनुदान	निर्गत होने वाली वित्तीय स्वीकृति (रु0 लाख में)			
						केन्द्राश	राज्याश	कुल अनुदान (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	आगरा	1.000	0.985	5.911	2.365	1.419	0.946	2.365	
2	मथुरा	41.810	41.192	247.152	98.861	59.317	39.544	98.861	
3	हथारस	2.865	2.823	16.936	6.774	4.064	2.710	6.774	
	कुलयोग	45.675	45.000	270.000	108.000	64.800	43.200	108.000	

प्र

प्रमुख

बृहद आर0ए0एस0/बृहद वायोफलाक / Rs. 50.0 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	घनराशि/ टोन्मी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किरा के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		प्रथम किरा के रूप में अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किरा के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किरा के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आगरा	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
2	मथुरा	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
3	कासगंज	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
4	आजमगढ	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
5	प्रयागराज	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00
6	कौशम्बी	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
7	कानपुरदेहात	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00
8	इटवा	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
9	गोरखपुर	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
10	महाराजगंज	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
11	देवरिया	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
12	कुशीनगर	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
13	गोण्डा	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
14	बलरामपुर	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
15	बाराबंकी	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
16	मेरठ	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
17	हापड़	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
18	बागपत	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
19	गाजियाबाद	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00
20	समपुर	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
21	बिजनौर	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00
22	उन्नाव	1	50.00	20.00	12.00	8.00	4.80	3.20	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00
23	लखीमपुरखीरी	1	50.00	20.000	12.000	8.000	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
24	बदायूँ	1	50.00	20.000	12.000	8.000	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
25	गान्धीपुर	1	50.00	20.000	12.000	8.000	4.80	3.20	0.00	0.00	12.00	8.00	20.00
26	मिर्जापुर	1	50.00	20.000	12.000	8.000	4.80	3.20	4.80	3.20	7.20	4.80	12.00
	प्रदेश योग	26	1300.00	520.00	312.00	208.00	124.80	83.20	96.00	64.00	216.00	144.00	360.00

OK

6/12/21

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) 2020-21

Annexure-07

मध्याकार आर0यु0एस0 / मध्याकार वायोफलाक / Rs. 25.0 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आगरा	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
2	हथारस	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	2.40	1.60	3.60	2.40	6.00
3	आजमगढ	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	2.40	1.60	3.60	2.40	6.00
4	मऊ	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	2.40	1.60	3.60	2.40	6.00
5	देवरिया	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	2.40	1.60	3.60	2.40	6.00
6	अम्बेडकर नगर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	2.40	1.60	3.60	2.40	6.00
7	बरेली	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	2.40	1.60	3.60	2.40	6.00
8	मेरठ	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00
9	जौनपुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	2.40	1.60	3.60	2.40	6.00
10	मिर्जापुर	1	25.00	10.00	6.00	4.00	2.40	1.6	2.40	1.60	3.60	2.40	6.00
	योग	10	250.00	100.00	60.00	40.00	24.00	16.00	19.20	12.80	40.80	27.20	68.00

12

13

14

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसओवाई0) 2020-21)

Annexure-08

लघु आर0एमएस0 वायोफलाक / Rs. 7.50 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	घनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किरत के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किरत के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किरत के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आगरा	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.08	0.72	0.72	0.48	1.20
2	फिरोजाबाद	2	15.00	6.00	3.60	2.40	2.16	1.44	1.44	0.96	2.40
3	मथुरा	1	7.50	3.00	1.80	1.20	0.00	0.00	1.80	1.20	3.00
4	कासगंज	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.08	0.72	0.72	0.48	1.20
5	देवरिया	1	7.50	3.00	1.80	1.20	0.00	0.00	1.80	1.20	3.00
6	बरेली	1	7.50	3.00	1.80	1.20	0.00	0.00	1.80	1.20	3.00
7	मेरठ	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.08	0.72	0.72	0.48	1.20
8	हापड़	2	15.00	6.00	3.60	2.40	1.80	1.20	1.80	1.20	3.00
9	बागपत	3	22.50	9.00	5.40	3.60	0.00	0.00	5.40	3.60	9.00
10	गाजियाबाद	1	7.50	3.00	1.80	1.20	1.08	0.72	0.72	0.48	1.20
11	लखनऊ	6	45.00	18.00	10.80	7.20	2.16	1.44	8.64	5.76	14.40
12	गाजीपुर	3	22.50	9.00	5.40	3.60	1.80	1.20	3.60	2.40	6.00
13	सोनभद्र	2	15.00	6.00	3.60	2.40	1.80	1.20	1.80	1.20	3.00
	योग	25	187.50	75.00	45.00	30.00	14.04	9.36	30.96	20.64	51.60

13

13

13

प्रधानमंत्री मत्स्य सभ्यता योजना 2020-21

एनेकजर-9

दैन कल्चर / Rs. 3.0 lacs/hectare											
सामान्य लाभार्थी (कियाव्ययन वर्ष 2021-22)											
क्र०	जनपद	डीएलओसी० से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (क्षोहे०)	2020-21 के लिये GOI से स्वीकृत कुल प्रस्ताव (क्षोहे०)	कुल प्रोजेक्ट लागत	कुल अनुदान	2020-21 में आवंटित धनराशि	2020-21 में व्यय धनराशि	2021-22 में आवंटन हेतु अवशेष धनराशि	2021-22 में आवंटित की जाने वाली धनराशि		
									राज्यशे	केन्द्रशे	योग (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ललितपुर	1.000	1.000	3.000	1.200	1.20	0.720	0.480	0.1920	0.2880	0.4800
3	लखीमपुरखी सी	3.000	3.000	9.000	3.600	3.60	0.000	3.600	1.4400	2.1600	3.6000
	कुलयोग	4.000	4.000	12.000	4.800	4.80	0.720	4.080	1.6320	2.4480	4.0800

(Handwritten signature)

इन्सुलेटिड/रेफ्रीजरेटर वैन / Rs. 20.0 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किस्त के रूप में अनुमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अनुमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आगरा	2	40.00	16.00	9.60	6.40	4.80	5.20	4.80	3.20	8.00
2	गोरखपुर	1	20.00	8.00	4.80	3.20	0.00	0.00	4.80	3.20	8.00
3	गोण्डा	1	20.00	8.00	4.80	3.20	0.00	0.00	4.80	3.20	8.00
4	बलरामपुर	1	20.00	8.00	4.80	3.20	0.00	0.00	4.80	3.20	8.00
	प्रदेश योग	5	100.00	40.00	24.00	16.00	4.80	3.20	19.20	12.80	32.00

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21
मोटर साइकिल विथ आईस वर्क्स / Rs. 0.75 lacs/unit

Annexure-11

सामान्य लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	घनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)		द्वितीय किश्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किश्त के रूप में कुल अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आगरा	19	14.25	5.70	3.42	2.28	1.12	0.74	0.07	0.05	3.84
2	किरोजाबाद	1	0.75	0.30	0.18	0.12	0.11	0.07	0.07	0.05	0.12
3	मथुरा	2	1.50	0.60	0.36	0.24	0.11	0.07	0.25	0.17	0.42
	प्रदेश योग	22	16.50	6.60	3.96	2.64	1.33	0.89	2.63	1.75	4.38

14

20/04/21

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 2020-21

Annexure -12

सार्वकल विषय आइस वर्कस / Rs. 0.10 lacs/unit

सामान्य लामार्थ

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से				प्रथम क्रियत के रूप में अभ्युक्त अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु. लाख में)				द्वितीय क्रियत के रूप में कुल प्रस्तावित अभ्युक्त अनुदान (रु. लाख में)		द्वितीय क्रियत के रूप में कुल अभ्युक्त अनुदान (रु. लाख में)
					केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	फिरोजाबाद	9	0.90	0.36	0.22	0.14	0.14	0.10	0.072	0.048	0.120				
2	फतेहपुर	5	0.50	0.20	0.12	0.08	0.07	0.05	0.048	0.032	0.080				
3	कुशीनगर	6	0.60	0.24	0.14	0.10	0.07	0.05	0.072	0.048	0.120				
4	ललितपुर	14	1.40	0.56	0.34	0.22	0.29	0.19	0.048	0.032	0.080				
5	शाहजहाँपुर	11	1.10	0.44	0.26	0.18	0.24	0.16	0.024	0.016	0.040				
6	बस्ती	4	0.40	0.16	0.10	0.06	0.07	0.05	0.024	0.016	0.040				
7	संतकबीर नगर	3	0.30	0.12	0.07	0.05	0.00	0.00	0.072	0.048	0.120				
8	मेरठ	16	1.60	0.64	0.38	0.26	0.36	0.24	0.024	0.016	0.040				
9	बानपत	5	0.50	0.20	0.12	0.08	0.10	0.06	0.024	0.016	0.040				
10	सयबरेली	9	0.90	0.36	0.22	0.14	0.17	0.11	0.048	0.032	0.080				
11	सोनमद	3	0.30	0.12	0.07	0.05	0.05	0.03	0.024	0.016	0.040				
	प्रदेश योग	85	8.50	3.40	2.04	1.36	1.56	1.04	0.480	0.320	0.800				

15

0

0.57

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसएसवाई) 2020-21

Annexure-13

श्री क्वीलर विथ आइस बॉक्स / Rs. 3.0 lacs/unit cost

सामान्य लाभार्थी

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी०पी०सी०	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किस्त के रूप में अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु. लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु. लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अनुदान (रु. लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आगरा	1	3.00	1.20	0.72	0.48	0.43	0.29	0.29	0.19	0.48
2	हथरस	3	9.00	3.60	2.16	1.44	1.15	0.77	1.00	0.68	1.68
3	देवरिया	2	6.00	2.40	1.44	0.96	1.15	0.77	0.29	0.19	0.48
	प्रदेश योग	6	18.00	7.20	4.32	2.88	2.74	1.82	1.58	1.06	2.64

18

(32/11/21)

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई0) 2020-21

लघु फीड मिल / Rs. 30.0 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

Annexure-14

क्रम	जनपद	संख्या	घनराशि / टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से		प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान के रूप में कुल अनुदान (रु. लाख में)		प्रथम किस्त के रूप में प्रथम अनुदान के साथ व्यव (रु. लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अनुदान (रु. लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अनुदान (रु. लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	हाथरस	1	30.00	12.00	7.20	4.80	2.88	1.92	0.00	0.00	7.20	4.80	12.00
2	देवरिया	1	30.00	12.00	7.20	4.80	2.88	1.92	2.88	1.92	4.32	2.88	7.20
3	कुशीनगर	1	30.00	12.00	7.20	4.80	2.88	1.92	2.88	1.92	4.32	2.88	7.20
4	बाराबंकी	1	30.00	12.00	7.20	4.80	2.88	1.92	2.88	1.92	4.32	2.88	7.20
5	मेरठ	1	30.00	12.00	7.20	4.80	2.88	1.92	0.00	0.00	7.20	4.80	12.00
6	गाजियाबाद	1	30.00	12.00	7.20	4.80	2.88	1.92	0.00	0.00	7.20	4.80	12.00
7	वाराणसी	1	30.00	12.00	7.20	4.80	2.88	1.92	0.00	0.00	7.20	4.80	12.00
	प्रदेश योग	7	210.00	84.00	50.40	33.60	20.16	13.44	8.64	5.76	41.76	27.84	69.60

15

20

20

(प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसडी) 2020-21

कियोस्क / Rs. 10.00 lacs/unit

सामान्य लाभार्थी

Annexure-15

क्रम	जनपद	संख्या	धनराशि/ टी0पी0सी0	कुल अनुदान	कुल अनुदान में से			प्रथम किस्त के रूप में अवमंका अनुदान के सापेक्ष व्यय (रु लाख में)			द्वितीय किस्त के रूप में कुल प्रस्तावित अवमुक्त अनुदान (रु लाख में)		द्वितीय किस्त के रूप में कुल अवमंका अनुदान (रु लाख में)
					केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12
1	प्रयागराज	2	20.00	8.00	4.80	3.20		1.44	0.96		3.36	2.24	5.60
2	ललितपुर	1	10.00	4.00	2.40	1.60		0.00	0.00		2.40	1.60	4.00
3	मेरठ	2	20.00	8.00	4.80	3.20		1.44	0.96		3.36	2.24	5.60
4	वाराणसी	4	40.00	16.00	9.60	6.40		4.32	2.88		5.28	3.52	8.80
	प्रदेश योग	9	90.00	36.00	21.60	14.40		7.20	4.80		14.40	9.60	24.00

18

8

6